उप-किराया अनुबंध

कमरा या मकान आगे किराये पर देना (सबलेट)
भारतीय कानून के अनुसार

1. मुख्य किरायेदार

पूरा नाम (मुख्य किरायेदार)

गली और मकान नंबर (मुख्य किरायेदार)

पिन कोड (मुख्य किरायेदार)

शहर (मुख्य किरायेदार)

फ़ोन या ई-मेल (मुख्य किरायेदार)

2. उप-किरायेदार

पूरा नाम (उप-किरायेदार)

गली और मकान नंबर (उप-किरायेदार)

पिन कोड (उप-किरायेदार)

शहर (उप-किरायेदार)

फ़ोन या ई-मेल (उप-किरायेदार)

3. उप-किराये की वस्तु

मकान/यूनिट का पता (गली, नंबर, पिन कोड, शहर)

आगे किराये पर दिए जाने वाले कमरे

साझा उपयोग (रसोई, बाथरूम, गलियारा ...)

☐ कमरे पूरे फ़र्नीचर के साथ उप-किराये पर दिए जाते हैं।

4. अवधि

शुरू होने की तिथि

इस तिथि तक (वैकल्पिक)

अवधि तय न होने पर उप-किराया अनिश्चितकालीन माना जाएगा; उचित नोटिस अवधि लागू होगी।

5. किराया और जमानत

मासिक किराया (शुल्क सहित, राशि)

जमानत राशि / सिक्योरिटी डिपॉज़िट

किराया हर महीने अग्रिम रूप से, अधिकतम हर महीने की तीसरी कार्य-दिवस तक चुकाया जाएगा।

6. मकान मालिक की सहमति

☐ उप-किराये के लिए मकान मालिक की सहमति ले ली गई है।

tamgara.com का मुफ़्त टेम्पलेट – सीधे ऑनलाइन भरें और हस्ताक्षर करें। यह टेम्पलेट बिना किसी गारंटी के दिया जाता है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।

सूचना: मकान मालिक की सहमति के बिना उप-किराया मुख्य किराया अनुबंध समाप्त होने का कारण बन सकता है।

7. अतिरिक्त शर्तें

अतिरिक्त शर्तें (जैसे घर के नियम, सफ़ाई)

स्थान	दिनांक	स्थान	दिनांक

मुख्य किरायेदार के हस्ताक्षर

उप-किरायेदार के हस्ताक्षर